न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, गरौठा, जिला झांसी।

मुकदमा संख्या- 776/2017

सरकार **बनाम** **राधाचरण।**

धारा- 420, 504 भा०दं०सं०
थाना- गुरसरांय, जिला- झांसी।
मु. अ. सं. - 90/2017

मै, **सुनील शेखर,** न्यायिक मजिस्ट्रेट, गरौठा, जिला झांसी आप अभियुक्त **राधाचरण** को निम्न आरोपों में आरोपित करता हूं:-

1- यह कि दिनांक 22. 08. 2016 को समय करीब 12 बजे व स्थान ग्राम सरसैडा थाना गुरसरांय जिला झांसी में आप वादी मुकदमा को धोखा देने व छल करने के आशय हवन पूजन आदि कर कथित सिक्कों से भरा बर्तन अपने साथ ले गये। इस प्रकार आपने भा. दं. सं. की धारा **420** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है। जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपके द्वारा वादी मुकदमा को लोकशान्ति भंग करने के आशय से गन्दी-गन्दी गालियां देकर प्रकोपित किया। इस प्रकार आपने भा. द. सं. की धारा **504** के तहत दण्डनीय अपराध किया है, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

अतएव मैं एतदद्वारा आपको निर्देश देता हूं कि उपरोक्त आरोप के लिए आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

दिनांक- 21. 04. 2022

(सुनील शेखर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
गरौठा, झांसी।

उपरोक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया व विचारण की याचना की।

दिनांक- 21. 04. 2022

(सुनील शेखर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
गरौठा, झांसी।